संख्या–490/एक–10–2022–33(36)/2018 टीसी–3

जारी
5.4.22

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, कुशीनगर, उन्नाव, सुलतानपुर, हरदोई,
जालौन, अयोध्या, कासगंज, खीरी, कानपुर नगर एवं सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 04 अप्रैल, 2022

विषयः–वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0–303/1–11–2016–4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना एवं अधिसूचना सं0–393/1–11–2018–4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य–जीव द्वव्द्व तथा अधिसूचना सं0–387/एक–11–2021–4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। **वर्ष 2022–23** में आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 9,76,49,000/–(रूपये नौ करोड़ छियत्तर लाख उनचास हजार मात्र)** की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	जनपद का नाम	मद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	5
1	सोनभद्र	मद–09	180.89
2	गाजीपुर	मद–09	60.00
3	जौनपुर	मद–09	75.00
4	कुशीनगर	मद–09	30.00
5	उन्नाव	मद–09	50.00
6	सुलतानपुर	मद–09	80.00
7	हरदोई	मद–09	250.00
8	जालौन	मद–09	100.00
9	अयोध्या	मद–09	50.00
10	कासगंज	मद–09	30.00
11	खीरी	मद–09	35.60
12	कानपुर नगर	मद–09	20.00
13	सिद्धार्थनगर	मद–09	15.00
योग			976.49
(रूपये नौ करोड़ छियत्तर लाख उनचास हजार मात्र)			

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803/दस–2013–10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। **टीआर–27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक **31 मार्च, 2023** से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उपरोक्त स्वीकृत **रू0 9,76,49,000/–(रूपये नौ करोड़ छियत्तर लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि** वर्तमान **वित्तीय वर्ष 2022–23** के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक

"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

07/2 (रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या–490(1)/एक–10–2021–33(36)/2018 टीसी–3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

5/4/2022

आज्ञा से,

04.04.22
(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-05/04/2022

प्रेषण संख्या:- 490
आवंटन आदेश संख्या:- 001-490
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
2	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
3	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 7500000	7500000 7500000
4	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 6000000	6000000 6000000
5	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
6	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 25000000	25000000 25000000
7	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3560000 3560000	3560000 3560000
8	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
9	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 8000000	8000000 8000000
10	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
11	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	18089000 18089000	18089000 18089000
12	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
13	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	97649000 97649000	97649000 97649000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार

5/4/2022
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी